हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक अप्रैल, 7,2010

संख्या का आ0 59/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2010.– हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 2/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2010, दिनांक 19 मार्च, 2010, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से सलंग्न अनुसूची क,ख,ग और छ में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में,–

I अनुसूची 'क' में;-

(i) क्रम संख्या 7 में, व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''व्याख्या.– इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ''आयल कम्पनी से अभिप्राय है, मैसर्ज इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज हिन्दुस्तान भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज इण्डो बर्मा पैट्रोलियम कारपोरेशन, मैसर्ज रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्ज नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड तथा मैसर्ज इस्सार आयल लिमिटेड।'';

(ii) क्रम संख्या 8 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टयां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3
''9	बीड़ी और हुक्का में प्रयोग होने वाला बीड़ी तथा कट तम्बाकू को छोड़कर तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद	20% ।''

II अनुसूची 'ख' में:–

(i) क्रम संख्या 3 क का लोप कर दिया जाएगा और 30 नवम्बर, 2006 से लोप किया गया समझा जाएगा ; और

(ii) क्रम संख्या 3 क के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि तुरन्त प्रभाव से रखी जाएगी, अर्थात ,:-

1	2
" 3 ख	" सेवारत केन्द्रीय पुलिस बल कार्मिको को केन्द्रीय कैन्टीन द्वारा बेची जाने वाली सभी वस्तुएं ।";

(iii) क्रम संख्या 59 तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रथम मई, 2005 से लागू हुई समझी जाएंगी।" ।

III अनुसूची 'ग' में, क्रम संख्या 55 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:–

1	2
" 55क	मल्टीलेटिड रैगस"

IV अनुसूची 'छ' में, प्रविष्टि 2 के पश्चात्, अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी और 30 नवम्बर, 2006 से जोड़ी गई समझी जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3	4	5
"3.	गुड़गांव मैट्रो कोरिडोर (गुड़गांव सैक्शन) को पूरा करने के लिए दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डी.एम.आर.सी.एल.) को बेचा गया सभी माल (अनुसूची घ में वर्णित माल को छोड़कर) दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के किसी प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत	बेचे गये माल के मूल्य का 0 %	गुड़गांव मैट्रो कोरिडोर (गुड़गांव सैक्शन) को पूरा करने के लिए दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदाय (विक्रय) माल।	–

	करने के अध्यधीन होगा कि माल गुडगांव मैट्रो कोरिडोर के गुड़गांव सैक्शन को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया गया है।"। व्याख्या– दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को उपरोक्त प्रदाय किए गए माल पर मूल्य वर्धित कर प्रभारित न करने के सरकार के आशय को पूरा प्रभाव देने के लिए जहां तक गुड़गांव मैट्रो कोरिडोर (गुड़गांव सैक्शन) को पूरा करने के लिए दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदाय किए गए माल से सम्बन्धित अनुदान की वापसी का सम्बन्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में दिये फार्मूले का कोई प्रभाव नहीं होगा।"।	–	–	–

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।